न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21 / 2016 (राजसमन्द डिक्री)

लेहरूनाथ पिता कवंरियानाथ, जाति कालबेलिया, निवासी बिजनोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. रमेश पिता केला जी बैरवा विकृतचित्त जरिये वाद मित्र श्रीमती सोहनीदेवी बैरवा, निवासी कांकरोली (मृतक) के बजाय :–

1 / 1. सोहनीदेवी पत्नी रमेशचन्द्र, जाति चमार, निवासी जलचक्की, कांकरोली

1 / 2. पुष्पा पुत्री रमेशचन्द्र, जाति चमार, निवासी जलचक्की, कांकरोली

1 / 3. देवेन्द्र पुत्र रमेशचन्द्र, जाति चमार, निवासी जलचक्की, कांकरोली

1 / 4. घनश्याम पुत्र रमेशचन्द्र, जाति चमार, निवासी जलचक्की, कांकरोली

1 / 5. रेखा पुत्री रमेशचन्द्र, जाति चमार, निवासी जलचक्की, कांकरोली

1 / 6. चन्दा पुत्री रमेशचन्द्र, जाति चमार, निवासी जलचक्की, कांकरोली

1 / 7. ओमप्रकाश पुत्र रमेशचन्द्र, जाति चमार, निवासी जलचक्की, कांकरोली

2. दयाराम पिता प्यारालाल जी बैरवा, निवासी जलचक्की, कांकरोली

3. परथीबाई पत्नी प्यारालाल जी बैरवा, निवासी जलचक्की, कांकरोली

4. लक्ष्मण पिता तुलसीराम जी बैरवा (कार्यवाही अबेट आदेश 09–06–2017)

5. सोसरबाई पुत्री तुलसीराम जी बैरवा, निवासी जलचक्की, कांकरोली

6. नारायणीबाई पत्नी सोहनलाल जी बैरवा, निवासी जलचक्की, कांकरोली

7. शिवनारायण पिता चतरालाल जी रेगर, निवासी कांकरोली

8. गोपीलाल पिता चतरालाल जी रेगर, निवासी कांकरोली

9. प्रेमबाई पिता पिता चतरालाल जी रेगर, निवासी कांकरोली

10. रूकमणीबाई पत्नी चतरालाल जी रेगर, निवासी कोयड, तहसील राजसमन्द

11. शुभकरणसिंह पिता बिरबल प्रसाद जी खटीक, निवासी कांकरोली

12. सम्पतलाल पिता अमरा जी खटीक, निवासी कुंवारिया, तहसील राजसमन्द

13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द
दिनांक 25–04–2016, प्र. सं. 75 / 10

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री शेषमल गाडरी अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री प्रवीण मण्डोवरा अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 1/7
3. श्री विश्वजीतसिंह कर्णावत अभिभाषक रे.सं. 12
4. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13

———::———

निर्णय **दिनांक 23–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तरसिंगडा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की कुल किता 8 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त सभी भूमियां वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पुश्तैनी होकर उन्हें विरासत से प्राप्त हुई हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 केला जी के जाईन्दा पुत्र होकर प्रतिवादी संख्या 1 बचपन में ही स्वर्गीय प्यारालाल जी के गोद चला गया था और वहीं पर निवास कर रहा है एवं प्यारालाल जी ने ही उसका पालन पोषण किया है तथा सभी सरकारी रेकार्ड में उसके पिता का नाम प्यारालाल ही दर्ज है, जिससे केला जी की सम्पत्ति में सका कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा, किन्तु पटवारी हल्का से मिलकर राजस्व रेकार्ड में विरासत का नामान्तरकरण खुलवा कर अपना 1/12 हिस्सा दर्ज करवा लिया है, जबकि उक्त भूमियों पर कब्जा वादी का ही चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा दर्ज हो जाने से वह अजनवी व्यक्ति को विक्रय करने की धमकी देता है। अतएवं वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित 1/12 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलवायी जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का विक्रय नहीं करे तथा यदि दौराने वाद उनके द्वारा दर्ज हिस्से का विक्रय कर दिया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 के खर्चे पर पुनः पूर्ववत स्थिति कायम करायी जावे।

प्रकरण में दौराने कार्यवाही वादी रमेशचन्द्र की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम संस्थित किये गये। दौराने वाद दिनांक 28–03–2016 को प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम, सोहनीबाई व घनश्याम द्वारा आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया जाकर विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/12 हिस्सा वादी के पक्ष में घोषित कराये जाने का निवेदन किया।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामे के आधार पर दिनांक 25–04–2016 को वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादी संख्या 1 दयाराम का नाम दर्ज 1/12 हिस्से को वादी को खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट लेहरूनाथ द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08–07–2016 को प्रस्तुत पेश गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–04–2016 की जानकारी नहीं थी। जानकारी होने पर नकलें प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में अपीलान्ट/आवेदक अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की उसे जानकारी होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 96 व दफा 151 जाब्ता दीवानी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो वाद अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन था उसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी न ही रेस्पोन्डेन्ट द्वारा उक्त तथ्यों के बारे में अपीलान्ट को कभी कुछ बताया गया। अपीलान्ट प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, फिर भी उसे पक्षकार बनाये बिना एवं उसे सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतएवं उसे अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृत प्रदान की जावे।

→ आश्चर्य जनक रूप से अपीलान्ट/आवेदक द्वारा आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने बाबत् किसी प्रकार का कोई कारण वर्णन नहीं किया गया है, परन्तु न्यायहित में हम यह पाते हैं कि अपीलान्ट का हितबद्ध बताने का प्रमुख आधार यह है कि विवादित भूमि में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का 1/12 हिस्सा उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 24–08–2012 को 4,95,000/– रूपये में क्रय किया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 25–08–2010 को दर्ज हुआ है। प्रकरण में आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ पेश शुदा दस्तावेज अनुसार इस प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 72/2010 में दिनांक 16–08–2010 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के आवेदन पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 (अपीलान्ट/आवेदक के विक्रेता) के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौकै व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं तथा

उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा अभी तक अपास्त नहीं हुई है। अपीलान्ट/आवदेक के विक्रेता को विक्रय नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया था, तद्नुसार उक्त विक्रय पत्र विधि के उल्लंघन में हुआ है। हालांकि यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलान्ट/आवदेक के विक्रेता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा विक्रय के बाद राजीनामे से प्रकरण को डिक्री करवाया है, परन्तु दौराने वाद उक्त भूमि का विक्रय किये जाने से धारा 52 ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट लीज पेन्डेन्स के तहत उक्त वाद के निर्णय को अध्याधीन ही माना जायेगा। इस वाद के निर्णय से अपीलान्ट/आवदेक के विक्रेता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का कोई हक अधिकार उक्त भूमि पर नहीं रहता है, तद्नुसार अपीलान्ट की भी हितबद्धता इस प्रकरण में नहीं मानी जा सकती।

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस प्रकरण में दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलित होते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा विक्रय किया गया है, जिससे उक्त विक्रय पत्र को किसी भी स्थिति में विधिक नहीं माना जा सकता है एवं तद्नुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का मूलवाद में किसी प्रकार का हक उक्त भूमियों में नहीं रहता है तथा विक्रय करने के समय वह भूमि विक्रय नहीं करने हेतु विधिक रूप से पाबन्द था। ऐसी स्थिति में उसके क्रेता अपीलान्ट/आवदेक को उक्त विक्रय पत्र से यह न्यायालय किसी प्रकार के अधिकार सृजित नहीं होना मानता है एवं तद्नुसार हम अपीलान्ट/आवेदक को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते हैं। अपीलान्ट चाहे तो रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध आवश्यक वसूली अथवा आपराधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र है। तद्नुसार अपीलान्ट/आवेदक का दफा 96 व दफा 151 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाता है।

अतएवं अपीलान्ट/आवेदन का दफा 96 व दफा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार नहीं होने से अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–04–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** .....

लेहरूनाथ पिता कवंरियानाथ, जाति कालबेलिया, निवासी बिजनोल, तह॰ नाथद्वारा, जिला राजसमन्द। बनाम **रमेश (मृतक) के बजाय श्रीमती सोहनीदेवी पत्नी रमेशचन्द्र चमार, निवासी जलचक्की, कांकरोली तह0 व जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं॰.....**21/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**25**.....माह.....**04**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**.....माह.....**08**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री शेषमल गायरी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व..... **श्री प्रवीण मण्डोवरा** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपीलान्ट/आवेदन का दफा 96 व दफा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार नहीं होने से अपील इस स्टेज पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–04–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**08**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।